संख्या-34/2026/448/12-5099/4/2020

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 14 मई, 2026**

विषयः- मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना की वर्ष 2026-2027 हेतु कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०अभि०/27/जिप्सम कार्य योजना/2026-27, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 एवं पत्रांक-भू०सं०अभि०/46/जिप्सम/2026-27, दिनांक 05 मई, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु ''मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना'' के अन्तर्गत राज्य सेक्टर से प्राविधानित धनराशि रू० 500.00 लाख के सापेक्ष जिप्सम वितरण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 25307.00 मै०टन कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृत निम्नवत प्रदान की जाती है :-

1. जिप्सम एक प्राकृतिक खनिज है, जिसमें $CaSO_4$ लगभग 70% होने से सूक्ष्म तत्व गंधक (Sulphur) एवं कैल्शियम प्रचुरता में पाया जाता है। इसके प्रयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है, जिससे फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्वि होती है। जिप्सम में विद्यमान 16 से 18 प्रतिशत सल्फर एवं 20 से 22 प्रतिशत कैल्शियम एवं अन्य सूक्ष्म तत्व भूमि की उर्वरा शक्ति के बढ़ाने में सहायक होते हैं।

2. **भूमि में गंधक की कमी से पौधो पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव :-**
   - नई पत्तियॉ पीली पड़ जाती हैं जो बाद में सफेद हो जाती हैं।
   - तने छोटे, कमजोर तथा पीले पड़ जाते हैं।
   - पौधो की बढ़वार रूक जाती है फलस्वरूप उत्पादन/उत्पादकता प्रभावित होती है।
   - तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा घट जाती है।
   - फसल की गुणवत्ता घट जाती है।

3. **भूमि में कैल्शियम की कमी से पौधो पर पड़ने वाले दुष्प्रभावः-**
   - मिटटी सख्त हो जाती है।
   - पौधो की जड़ें छोटी और कमजोर हो जाती हैं, पौधे धीरे-धीरे बढ़ते हैं।
   - पौधे मिट्टी से पानी और पोषक तत्व सही से नहीं ले पाते हैं।
   - नई पत्तियॉ सिकुड़ जाती है एवं किनारे सूखने लगते हैं। फल छोटे रह जाते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. योजना का उद्देश्य एवं लाभ :-

- भूमि के पी0एच0 मान में संतुलन बनाता है, इससे क्षारीय/ऊसर भूमि का सुधार होता है, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधो को आसानी से हो जाती है।
- जिप्सम अवमृदा (Sub Soil) में उपलब्ध एल्युमिनियम की विषक्तता को कम करता है तथा कैल्शियम एवं मैगनीशियम के अनुपात में सुधार करता है।
- जिप्सम में मौजूद कैल्शियम मिटटी में उपलब्ध सोडियम को हटाकर मिट्टी के कणों के बीच रन्ध्रवकाश को बढ़ाता है, इससे मिट्टी भुरभुरी बनती है, जड़ो का विकास अच्छा हेाता हैं पानी एवं हवा का संचरण बढ़ता है। पौधो में तेजी से विकास होता है।
- कैल्शियम जड़ों और नई कोशिकाओं के विकास के लिए जरूरी है, सल्फर प्रोटीन एवं एन्जाइम बनाने में सहायक होता है, जिससे पौधो की वृद्वि एवं उत्पादन बढ़ता है। जिप्सम के उपयोग से फसल के गुणवत्ता एवं उत्पादन में 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी होती है।

5. योजनान्तर्गत देय सुविधाएँ :-

भाग-क	राज्य योजना से	25 % अनुदान	75 % अनुदान
	केन्द्रीय योजनाओं से	50 % अनुदान	
भाग-ख	राज्य योजना से	75 % अनुदान	75% अनुदान

6. जिप्सम का मूल्य:- रू0 4278.20/मै0टन

7. योजना का विवरण:- (भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य) (भौतिक मै0टन धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	**योजना का नाम**	**भौतिक लक्ष्य**	**कुल लागत**	**केन्द्रीय योजना से 50 % अनुदान**	**राज्य योजना**		**योग**	**कृषक अंश (25%)**	**कुल योग**
					75 % अनुदान	**25 % अनुदान**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना।	14586	624.00	312.00	-	156.00	468.00	156.00	624.00
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जिप्सम वितरण की योजना	10721	458.66	-	344.00	-	344.00	114.66	458.66
योग		**25307.00**	**1082.66**	**312.00**	**344.00**	**156.0**	**812.00**	**270.66**	**1082.66**

- **वित्तीय वर्ष 2025-26 की दर के आधार पर जिप्सम की मात्रा का आंकलन किया गया है। आपूर्तिकर्ता एजेन्सियों द्वारा टेण्डर में प्राप्त बाजार दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिप्सम की दर के अनुसार जिप्सम की मात्रा घट एवं बढ सकती है। तद्नुसार जिप्सम का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।**
- **मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना में केन्द्रीय अनुदान की 50 प्रतिशत धनरशि ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजनान्तर्गत'' प्राप्त की जायेगी।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. योजना का कार्यक्षेत्र :- प्रदेश के समस्त जनपद।

9. जिप्सम वितरण हेतु कृषकों की पात्रता :-

योजना के अन्तर्गत विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत समस्त श्रेणी के लाभार्थियों को 3 कु0/हेक्टेयर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक ही अनुमन्य अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध कराया जायेगा।

10. योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :-

योजना दो भागों में भाग-क एवं भाग-ख में विभक्त है। भाग-क के अन्तर्गत पूर्व की भॉति जिप्सम पर 25 प्रतिशत अनुदान राज्य योजना से तथा 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय योजना से एवं 25 प्रतिशत कृषक अंश की धनराशि कृषकों द्वारा देय होगी। भाग-ख के अन्तर्गत कृषको को जिप्सम पर राज्य सेक्टर से 75 प्रतिशत अनुदान पर देय होगा तथा 25 प्रतिशत कृषक अंश की धनराशि कृषकों द्वारा देय होगी। योजना के दोनो भागों में कृषको को जिप्सम पर 75 प्रतिशत अनुदान देय होगा। प्रदेश में कृषकों को जिप्सम पर एट सोर्स अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-212/12-3-2024-1795506, दिनांक 01 मार्च, 2024 के अनुसार व्यवस्था लागू होगी, जो निम्नवत् है:-

- पंजीकृत कृषकों को पी0ओ0एस0 मशीन से आधार अथेन्टीकेशन के पश्चात् जिप्सम के वितरण पर सब्सिडी एट सोर्स उपलब्ध करायी जायेगी, तथा सम्बन्धित लाभार्थी कृषक से योजना में अनुमन्य अनुदान की कटौती के पश्चात् अवशेष धनराशि कृषक अंश के रूप में प्राप्त की जायेगी।
- कृषकों को जिप्सम क्रय करने के पश्चात् पी0ओ0एस0 मशीन से प्रिंटेड रसीद भी उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर क्रय की गई वस्तु का नाम, मात्रा, दर, कुल मूल्य, अुनदान एवं कृषक अंश के साथ लाभार्थी का नाम एवं पंजीकरण भी अंकित होगा।
- कृषकों को विक्रय/वितरित किये गये जिप्सम के सापेक्ष कृषक अंश को डिजिटल माध्यम से प्राप्त करते हुये बैंक आफ बडौदा में इस कार्य हेतु खोले गये विभाग के खातें में डिजिटली हस्तान्तरित किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में ही कृषकों से कैश के रूप में कृषक अंश प्राप्त किया जायेगा, जिसे वर्चुअल एकाउन्ट के माध्यम से बैंक आफ बडौदा में बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग द्वारा खोले गये विभागीय खातें में जमा किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत जिप्सम का वितरण कृषकों को 75% अनुदान पर किया जायेगा, इस जिप्सम का वितरण अन्य योजनाओं के प्रर्दशन मद में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- जिप्सम के विक्रय/वितरण के पश्चात् कृषकवार वितरित मात्रा, दर, कुल मूल्य, अनुदान एवं कृषक अंश आदि विवरण पॉश मशीन पर प्रदर्शित होगा। तद्रूरूप अनुदान के बिलों को सम्बन्धित बीज गोदाम प्रभारी एवं जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा योजना आवंटित करते हुये निदेशालय में सम्बन्धित योजनाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित योजनाधिकारी द्वारा अनुदान की धनराशि को बैंक आफ बडौदा के खातें में अन्तरित/समायोजित किया जायेगा।
- इस प्रकार उपरोक्तानुसार दी गई व्यवस्था के अनुरूप कृषक अंश एवं अनुदान की धनराशि बैंक आफ बड़ौदा के बैंक खातें में संकलित होगी जहॉ से जिप्सम वितरण के योजनाधिकारी की संस्तुति पर खाता संचालक अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) द्वारा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता संस्था के बैंक खातें में डिजिटली अन्तरित किया जायेगा।
- योजना का क्रियान्वयन जनपदीय जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक की देखरेख में कराया जायेगा। जिप्सम वितरण का कार्य जनपदीय उप कृषि निदेशक के निर्देशन में जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वितरण से सम्बन्धित अभिलेखों/लाभार्थी सूची का अद्यतन रखरखाव भण्डार प्रभारी द्वारा किया जायेगा। मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक तथा जनपद में तैनात अन्य श्रेणी-2 के अधिकारियों द्वारा जिप्सम वितरण का सत्यापन किया जायेगा। निदेशालय स्तर के टास्क फोर्स अधिकारी द्वारा भी जनपदीय भ्रमण के दौरान जिप्सम वितरण की समीक्षा की जायेगी।
- योजनाधिकारी योजना से सम्बन्धित जनपदों के उप कृषि निदेशकों/जिला कृषि अधिकारियों को योजना के अन्तर्गत जिप्सम वितरण हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत करेंगे तथा पाक्षिक रूप से उप कृषि निदेशकों एवं जिला कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिकारियों से कार्य योजना में निर्धारित जिप्सम वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष जिप्सम आपूर्ति की समीक्षा करेंगे। जनपदीय उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी द्वारा नियमित रूप से प्रारूप-1**(संलग्नक-1)** के अनुसार सूचना पोर्टल पर अद्यतन की जायेगी।

11. कार्ययोजना का सारांश :-

- जिप्सम की आपूर्ति आपूर्तिकर्ता एजेन्सी द्वारा कृषि विभाग के आपूर्ति आदेश के अनुरूप जनपदों के जिला कृषि अधिकारी द्वारा आवंटित मात्रा के अनुसार विकासखण्ड स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर की जायेगी।
- जिप्सम की आपूर्ति मानक के अनुसार की जायेगी। जिप्सम आपूर्ति किये जाने से पूर्व जिप्सम के प्रत्येक लाट/बैच के प्री-डिस्पैच नमूनें कृषि निदेशक, उ0प्र0 से नामित अधिकारियों द्वारा ग्रहित किये जायेगें। ग्रहित नमूनें प्रयोगशाला में परीक्षणोपरान्त मानक स्तर पर पाये जाने पर ही आपूर्तिकर्ता एजेन्सियों द्वारा आवंटित जनपदों में जिला कृषि अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये राजकीय कृषि बीज भण्डार केन्द्रों पर जिप्सम की आपूर्ति कराई जायेगी।
- जनपदों में जिप्सम की आपूर्ति होने के पश्चात् प्रत्येक लाट/बैच का पुनः डेस्टीनेशन नमूनें सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी द्वारा नियमानुसार ग्रहित कर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में प्रेषित किया जायेगा। यदि किसी लाट/बैच का परीक्षणोपरान्त गुणवत्ता अद्योमानक स्तर का पाया जाता है, तब सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता संस्था को अपने व्यय पर तत्काल स्टॉक वापस उठान करना होगा।
- डेस्टीनेशन नमूनें की गुणवत्ता मानक स्तर होने पर ही संस्था के प्रति विभागीय देयता निर्धारित होगी।
- यदि जनपदों से निर्धारित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष अतिरिक्त मॉग अथवा कमी प्राप्त होती है तो योजनाओं में धनराशि की उपलब्धता को देखते हुये आवश्यकता पड़ने पर जनपदों के भौतिक लक्ष्यों में संशोधन कृषि निदेशक, उ०प्र० स्तर पर किया जा सकेगा।
- कृषकों को जिप्सम पर एट सोर्स अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु कृषकों द्वारा राजकीय कृषि बीज भण्डार पर केवल कृषक अंश का भुगतान कर लाभार्थी द्वारा जिप्सम प्राप्त किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत जिप्सम का वितरण कृषकों को विभिन्न फसलों में प्रयोग हेतु 75% अनुदान पर किया जायेगा। फसलों में प्रयोग के अतिरिक्त जिप्सम का प्रयोग अन्यन्त्र किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा, जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
4- अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।
6- सहायक निदेशकक(समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

प्रारूप-1

(मात्रा मै0टन में धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	जिप्सम का आवंटित लक्ष्य	आपूर्तित जिप्सम की मात्रा	आपूर्ति के सापेक्ष वितरण की मात्रा	वितरण के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि	कुल समायोजित राज्यांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।